

1

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-4 (डी), भूतल नवा रायपुर, अटल नगर

Website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708,

Fax - 2262558

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / प्रयास / 108 / 2022-23 / 4859

नया-रायपुर, दिनांक 20/07/2022

-:: विस्तृत विज्ञप्ति ::-

प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में (Lateral Entry) से प्रवेश हेतु सूचना

छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर (बालक), रायपुर (कन्या), बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, जशपुर, दुर्ग, कांकेर, जगदलपुर में स्थापित है। इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है तथा साथ ही राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कराई जाती है। इन विद्यालयों से प्रतिवर्ष उल्लेखनीय संख्या में प्रतिवर्ष विद्यार्थी चयनित होकर प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करते हैं।

प्रयास आवासीय विद्यालयों को विभिन्न संकायों में संचालित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। अतः संकाय का चयन कर पूर्व से ही तैयारी कर लेवें एवं उसी अनुसार आवेदन पत्र भरा जावे। बाद में विद्यालय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रं.	विद्यालय का नाम	सीट क्षमता	विद्यालय में संचालित संकाय
1	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला सरगुजा	बालक (75)	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय
		कन्या (50)	
2	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर	बालक (75)	वाणिज्य संकाय
		कन्या (50)	कला संकाय
3	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बस्तर	बालक (75)	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय
		कन्या (50)	
4	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला दुर्ग	बालक (75)	जीव विज्ञान संकाय
		कन्या (50)	गणित संकाय
5	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला कांकेर	बालक (50)	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय
		कन्या (50)	
6	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला कोरबा	बालक (50)	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय
		कन्या (50)	
7	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला जशपुर	बालक (50)	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय
		कन्या (50)	
8	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायपुर	बालक (200)	गणित संकाय
		कन्या (155)	जीव विज्ञान संकाय

4

(2)

शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में कक्षा 11वीं में प्रयास आवासीय विद्यालयों में निम्नानुसार सीट रिक्त है:-

प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	बालक					बालिका					महायोग
	PVTG + ST	SC	OBC	Gen.	TOTAL	PVTG + ST	SC	OBC	Gen.	TOTAL	
रायपुर	16	1	3	0	20	14	1	2	3	20	40
दुर्ग	2	1	1	0	4	2	3	0	2	7	11
बिलासपुर	27	6	11	7	51	24	3	7	4	38	89
सरगुजा	4	0	0	2	6	0	1	1	0	2	8
बस्तर	12	5	0	3	20	3	5	1	0	9	29
कांकेर	2	0	0	0	2	3	0	0	0	3	5
कोरबा	2	2	0	2	6	1	0	1	4	6	12
जशपुर	14	9	6	2	31	20	8	5	3	36	67
योग	79	24	21	16	140	67	21	17	16	121	261

रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु विभिन्न प्रावधान/शर्तें निम्नानुसार है :-

1. योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र :-

प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली-2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित क्षेत्र के विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं -

1. प्रदेश के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं।
2. नक्सल प्रभावित (केवल **LWE**) घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भू-भाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं ।

टीप :- i. (गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित नक्सल प्रभावित (**LWE**) जिले निम्नानुसार है:- (बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, महासमुन्द तथा धमतरी)

ii. नक्सल प्रभावित जिले के कौन से भाग अनुसूचित क्षेत्र में है और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में है की जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

2. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमारिया, पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों हेतु, सम्पूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा।





(3)

3. विद्यार्थी के चयन हेतु मापदंड :-

- विद्यार्थी को कंडिका (4) में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अथवा कक्षा की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, किन्तु प्रयास संस्था में प्रवेश के समय न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होने संबंधी अंकसूची संस्था के प्रशासकीय अधिकारीके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा अर्थात् उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. परीक्षा केन्द्र :-

क्र.	जिला	परीक्षा केन्द्र के स्थल हेतु विभागीय वेबसाईड पर जानकारी दी जावेगी तथा इस संबंध में संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकेगा।
1.	रायपुर	
2.	बिलासपुर	
3.	अंबिकापुर	
4.	जगदलपुर	

5. प्रश्न पत्र की रूपरेखा - प्रश्नों की संख्या 120 तथा कुल 120 अंक का होगा।

प्रश्न पत्र की संख्या निम्नानुसार होगी :-

क्र.	विषय	प्रश्न पत्रों की संख्या
1	गणित	30
2	विज्ञान	30
3	समाजिक विज्ञान	30
4	हिन्दी एवं अंग्रेजी	30
योग		120

प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

- उत्तर शीट- उत्तर हेतु ओ.एम.आर. शीट प्रदान किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट पर 04 विकल्प होंगे, जिसके सही उत्तर पर बॉल पॉइंट पेंट/पेंसिल से गोला को पूर्ण करना होगा।
- आवेदन पत्र का जमा किया जाना - विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, प्रारूप में आवेदन भर कर अपने जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्थायी जाति, निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र में स्थित विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना - आवेदन पत्र या ओ.एम.आर. शीट पर त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा तथा इस हेतु कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- परीक्षा की तिथि एवं समय - निर्धारित केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई 2022 प्रातः 10:00 से 12:30 बजे तक होगा। ओ.एम.आर. शीट में जानकारी भरने हेतु 15 मिनट (9:45 से 10:00 बजे तक) का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।





4

10. परीक्षा केन्द्र का कोड एवं रोल नंबर आबंटन :- प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को छः अंको का रोल नंबर दिया प्रदान किया जायेगा। प्रथम खाने में संभाग का कोड होगा अगले दो खाने में जिले का कोड तथा शेष तीन अंक विद्यार्थी का रोल नंबर होगा।
रोल नंबर हेतु :-

11. प्रत्येक जिला मुख्यालय हेतु निम्नानुसार कोड आबंटित किया गया है :-
संभाग कोड - रायपुर - A, बिलासपुर - B, अंबिकापुर - C, जगदलपुर - D

जिला का नाम	कोड
कोरिया	10
सूरजपुर	11
सरगुजा	12
जशपुर	13
बलरामपुर	14
कांकेर	15
जगदलपुर	16
नारायणपुर	17
बीजापुर	18
दंतेवाड़ा	19
सुकमा	20
कोण्डागांव	21

जिला का नाम	कोड
राजनागांव	22
महासमुन्द	23
गरियाबंद	24
बालोद	25
धमतरी	26
कबीरधाम	27
कोरबा	28
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	29
बिलासपुर	30
रायगढ़	31
मुंगेली	32

12. परीक्षा संबंधी अन्य निर्देश :- परीक्षा में केलकुलेटर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक डिवाइस प्रतिबंधित रहेगा।
13. किसी अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठाये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी तथा विधिक कार्यवाही की जावेगी।
14. नकल आदि करते हुए पाए जाने पर विद्यार्थी के विषय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. प्रवेश के संबंध में स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली 2020 प्रक्रियाधीन में उल्लेखित नियम एवं शर्त लागू होंगे।
17. प्रवेश पत्र संबंधी सूचना विभागीय वेबसाईड पर दी जावेगी।

(श्रीमती शर्मा आबिदी)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

प्रयास रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क./प्रयास/108/2022-23/4860 दि. 20.7.2022
प्रतिलिपि - 1. कलेक्टर, जिला - - - - - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला - - - - -

को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार कार्य तथा परीक्षा केन्द्र प्रभार आवश्यक प्रबंधन कार्य उपर्युक्त

5

**स्व. राजीव गांधी प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र
(2022-23) में
कक्षा 11वीं में Lateral Entry से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**



प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास जिला(छ.ग.)

रोल नंबर :-
(रोल नंबर कार्यालय द्वारा भरा जावेगा।)

--	--	--	--	--	--

1. छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी में) :
2. जन्मतिथि अंकों में :
- शब्दों में :
3. पिता का नाम :
4. माता का नाम :
5. पूर्ण पता :
6. विद्यार्थी के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल/उत्तीर्ण विद्यालय की जानकारी :- ग्राम.....पंचायत.....
वि.ख..... जिला
- (विद्यालय का अनुसूचित क्षेत्र में होने संबंधी जानकारी हेतु जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग या परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय से पुष्टि कर लेवें।)
7. क्या उक्त विद्यालय विज्ञापन के कंडिका-01 अनुसार LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है तो जिले का नाम :
8. क्या उक्त विद्यालय LWE एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनो में शामिल है (हाँ/नहीं) :
9. यदि नहीं तो क्या उक्त विद्यालय LWE जिले के उपयोजना क्षेत्र में आता है (हाँ/नहीं) :
10. कक्षा 10वीं का प्राप्तांक (प्रतिशत या ग्रेड लिखे) :
11. जाति एवं वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामा./विशेष पिछड़ी जनजाति) (च्वाईस फिलिंग के समय तक सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें) :
12. पिता का व्यवसाय (कृषि/मजदूरी/शासकीय नौकरी/अन्य) :
- (यदि शासकीय सेवा में है, तो पद)
13. परिवार में कुल कृषि भूमि है (एकड में) :
14. जटिल/गंभीर बीमारी (यदि कोई हो तो) :

- (प्रवेश के समय मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
15. फोन/मोबाईल नंबर :
16. विद्यार्थी के आधार कार्ड का नम्बर :
- (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
17. क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है :
- (यदि हां तो पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
18. विद्यार्थी कक्षा 11वीं एवं 12वीं में कौन सा विषय लेकर पढ़ाई करना चाहता है :-.....
- (गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कला)

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं श्री/कु. (विद्यार्थी) एवं आत्मज/आत्मजा श्री/श्रीमतीप्रमाणित करते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022-23 हेतु जारी प्रवेश नियमावली का अध्ययन कर लिया है। इसके अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। जानकारी गलत पाये जाने पर हमारे द्वारा किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

पालक/अभिभावक का हस्ताक्षर
दिनांक -

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर
दिनांक -

वर्ष 2022-23 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु
प्रधानपाठक/प्राचार्य का सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... पिता.....
वर्तमान में विद्यालय के कक्षा 10वीं में वर्ष 2021-22 में
अध्ययनरत है। यह विद्यालय ग्राम ग्राम पंचायत.....विकासखण्ड
जिला.....में संचालित है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर दी गई जानकारी सत्य एवं सही हैं।

प्राचार्य/प्रधानपाठक का पदमुद्रा
सहित हस्ताक्षर

आवेदन पत्र का सहायक आयुक्त कार्यालय में परीक्षण टीप

(परीक्षण का कार्य 28.07.2022को पूर्ण कर पात्र एवं अपात्र विद्यार्थियों का पूर्ण विवरण की सूची जिले के वेबसाईड पर अपलोड की जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... पिता.....
वर्तमान में विद्यालय के कक्षा 10वीं में वर्ष 2021-22 में
अध्ययनरत है। यह विद्यालय ग्राम ग्राम पंचायत.....विकासखण्ड
जिला.....में संचालित है। विद्यार्थी के आवेदन पत्र का परीक्षण प्रयास आवासीय विद्यालय नियम
की कंडिका 04 एवं 05 अनुसार पात्र/अपात्र है।

परीक्षण समिति का हस्ताक्षर एवं सहायक आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

7

स्व. राजीव गांधी प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र-सत्र (2022-23)

श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री को प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर में कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रको रोल

--	--	--	--	--	--

 नंबर आबंटित करते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।
टीप :- रोल नंबर आबंटित करते समय जारी विज्ञप्ति के कंडिका 11 का पालन किया जावे।
कमांक/दिनांक :

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला(छ.ग.)

आवेदन पत्र की पावती

श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री का आवेदन पत्र प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 11वीं में प्रवेश/चयन परीक्षा 2022-23 हेतु दिनांकको प्राप्त हुआ।
कमांक/दिनांक :

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता एवं
पदनाम/पदमुद्रा

9

कक्षा 11वीं में लेटरर इंट्री से प्रवेश हेतु
प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022-23
जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण टीप

क.	विद्यार्थी का नाम	जाति एवं वर्ग	परीक्षण टीप	पात्र/अपात्र	अपात्रता का कारण
1					
2					

टीप :-

1. परीक्षण उपरांत समिति के समस्त सदस्यों का हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित दर्ज किया जावे।
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा संतुष्ट होने पर प्रति हस्ताक्षर किया जावे।
3. जानकारी हार्ड एवं साफ्ट (Excel) में तैयार किया जावे।
4. पात्र एवं अपात्र (कारण सहित) की सूची जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।
5. पात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को भेजा जावे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शारान
आदिग जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर


//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 SEP 2021 /09/2021

कमांक/एफ-14-15/2007/25/2: राज्य शासन एतद्वारा स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 की स्वीकृति प्रदान करता है।


DC(P)


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.ए. निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

पू.कमांक/एफ-14-15/2007/25/2/1416 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /09/2021
प्रतिलिपि:- 16 SEP 2021


- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर.
- 2- महालेखाकार छ.ग. रायपुर
- 3- सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर.
- 4- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.
- 5- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.
- 6- समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
- 7- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
- 8- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- आर्डर बुक.


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

छत्तीसगढ़ शारान
आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित)
नियमावली वर्ष 2020

1. **उद्देश्य** :- प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल पीडित/प्रभावित क्षेत्रों के शालाओं से पूर्व माध्यमिक (कक्षा 8वीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया आवासीय एवं निशुल्क गुणवत्तापरक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल (यथा कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 11वीं 12वीं) स्तर की स्कूल शिक्षा के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्लेट, सी.ए./सी.एस/सी.एम.ए.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने राक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
2. **परिभाषाएं** :-
 - (i) **स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय**— प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में पूर्णतया तथा आंशिक रूप से शामिल/घोषित जिलों के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शालाओं से पूर्व माध्यमिक (कक्षा 8वीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापरक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं इस स्तर पर राज्य/राष्ट्रीय स्तर की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय से है।
 - (ii) **संस्था** — संस्था से अभिप्राय प्रयास आवासीय विद्यालयों में अध्यापन/कोचिंग हेतु आउटसोर्सिंग से चयनित संस्था से है।
 - (iii) **अनुसूचित क्षेत्र**— अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य प्रदेश में संविधान की 5वीं अनुसूचित के अनुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र से है।
 - (iv) **उपयोजना** — उपयोजना का आशय छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र से है।
 - (v) **विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG)** — राज्य के कमर, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया तथा राज्य द्वारा मान्य पण्डों एवं भुंजिया जनजाति समूह से है।
 - (vi) **अनुसूचित जनजाति** — संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति से है।
 - (vii) **अनुसूचित जाति**— संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति से है।
 - (viii) **अन्य पिछड़ा वर्ग** — छत्तीसगढ़ राज्य के घोषित अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों से है। इसमें किमीलेयर योजना के लाभ हेतु मान्य नहीं होगा।
 - (ix) **विभागीय परीक्षण एवं चयन समिति**— विभागीय चयन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 16 में वर्णित समिति से है।
 - (x) **जिला स्तरीय संचालन/क्रियान्वयन समिति**— संचालन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 20 में वर्णित समिति से है।
 - (xi) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति**— अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति से अभिप्राय नियम की कंडिका 21 में वर्णित समिति से है।
3. **स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय**:-
 1. इस विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों का अध्ययन/अध्यापन होगा। इन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी।

///2///


4. योजनांतर्गत शामिल क्षेत्र :-

1. प्रदेश के सम्पूर्ण अनुरूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं।
2. नक्सल प्रभावित (केवल LWE) घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भू-भाग जो अनुरूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (कमार, वैगा, विरहोर, पहाडी कोरवा, अबूझमारिया, पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों हेतु, सम्पूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा।

5. प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदण्ड :-

- (i) विद्यार्थी को कंडिका (4) में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (ii) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे किन्तु प्रयास संस्था में प्रवेश के समय न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होने संबंधी अंकरसूची संस्था के प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा अर्थात् उन्हे संस्था में सीधे प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता:-

प्रयास आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता निम्नानुसार होगी:-

क्र.	जिले का नाम	प्रयास विद्यालय का नाम	कक्षावार (9वीं से 12वीं) निर्धारित सीटों की संख्या	संकाय जिसका अध्यापन/कोचिंग दिया जाना है
01	रायपुर	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड़डू रायपुर	200×4=800	गणित संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं समकक्ष)
		प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढियारी, रायपुर	155×4=620	जीव विज्ञान संकाय (नीट एवं समकक्ष)
02	दुर्ग	प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग (बालक)	75×4=300	जीव विज्ञान संकाय (नीट एवं समकक्ष)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग (कन्या)	50×4=200	गणित संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं समकक्ष)
03	बिलासपुर	प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर (बालक)	75×4=300	वाणिज्य संकाय(सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए. एवं समकक्ष)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर (कन्या)	50×4=200	कला संकाय (क्लेट)
04	बस्तर	प्रयास आवासीय विद्यालय, जगदलपुर (बालक)	75×4=300	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, जगदलपुर (कन्या)	50×4=200	
05	सरगुजा	प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर (बालक)	75×4=300	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर (कन्या)	50×4=200	

11/3/11

क्र.	जिले का नाम	प्रयास विद्यालय का नाम	कक्षावार (9वीं से 12वीं) निर्धारित सीटों की संख्या	संकाय जिसका अध्यापन/कोचिंग दिया जाना है
06	कांकेर	प्रयास आवासीय विद्यालय, कांकेर (बालक)	50×4=200	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/ एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, कांकेर (कन्या)	50×4=200	
07	जशपुर	प्रयास आवासीय विद्यालय, जशपुर (बालक)	50×4=200	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/ एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, जशपुर (कन्या)	50×4=200	
08	कोरवा	प्रयास आवासीय विद्यालय, कोरवा (बालक)	50×4=200	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/ एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, कोरवा (कन्या)	50×4=200	
योग			4,620	-

मांग/उपलब्धता के आधार पर विद्यालयों में परस्पर सीटों की संख्या में राज्य स्तर (आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास) से परिवर्तन/समायोजन किया जा सकेगा।

7. प्रवेश में आरक्षण :-

अनुसूचित क्षेत्रों/उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित होंगी:-

1. अनुसूचित जनजाति- 53%
2. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी)-04%
3. अनुसूचित जाति- 13%
4. अन्य पिछड़ा वर्ग- 20%
5. सामान्य वर्ग- 10%

टीप:- 1- सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा।
2- पीवीटीजी, (विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य नियम के कडिका 02 के कडिका (v, vi, vii, viii) में उल्लेख अनुसार है।

8. विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया :-

- i. LWE पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी।
- ii. प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु यथा समय विज्ञापित राज्य/जिला स्तर पर प्रकाशित करायी जाएगी।
- iii. सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी/कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र होंगे।
- iv. विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- v. प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जावेगी। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण, संबंधित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
- vi. प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा अपने निगरानी में कराया जायेगा।

// 4 //

- vii. मूल्यांकन कार्य एवं मेरिट सूची तैयार करने का दायित्व आयुक्त द्वारा संचालित प्रयास विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय को सौंपा जायेगा अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी। प्राक्चयन परीक्षा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जायेगा।
- viii. आवेदकों को संस्था में प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम का विकल्प अपने आवेदन में देना होगा।
- ix. प्रयास आवासीय विद्यालय का आवंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता अनुसार किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में लिया जायेगा।
9. मान्यता प्राप्त बोर्ड अंतर्गत नामांकन:- प्रयास आवासीय विद्यालय में वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड के अधीन संचालित है। आवश्यकता अनुसार बोर्ड में परिवर्तन की कार्यवाही आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा की जा सकेगी।

10. शिक्षा का माध्यम:- प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। आवश्यकता अनुरूप विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम में भी अध्यापन/कोचिंग का कार्य कराया जा सकेगा।


11. आवासीय विद्यालयों के संचालन:- प्रयास आवासीय विद्यालयों में भवन, मेस, छात्रावास, विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा तथा रामरत अधोसंरचना इत्यादि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षणिक सुविधा अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था निजी संस्थाओं से आऊट सोर्स से की जाएगी, जिसके लिए पंजीकृत शैक्षणिक निजी संस्थानों से "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। किन्हीं कारणों से संस्था चयन नहीं होने पर आयुक्त द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जा सकेंगे।

12. कोचिंग संस्था के चयन हेतु प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यवाही के अधिकार:-

- रूचि की अभिव्यक्ति हेतु फार्म/डायग्नोसिस आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा तैयार किया जाएगा। अध्यापन तथा कोचिंग हेतु संस्था चयन के लिए केन्द्रीयकृत विज्ञापन जारी किया जायेगा। इसमें निजी कोचिंग संस्थाओं के लिए मानकों का उल्लेख होगा।
- चयनित संस्थाओं में से मेरिटक्रमानुसार कोचिंग संस्था के च्वाइस/विकल्प के अनुसार विज्ञापित विद्यालयों में से एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 02 (दो) विद्यालयों में अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य सौंपा जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
- प्रयास विद्यालयों हेतु चयनित संस्था से अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करने तथा अनुबंध अनुसार भुगतान करने, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण हेतु संबंधित जिला कलेक्टर पूर्ण सक्षम होंगे। अनुबंध अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्य न करने पर उनके विरुद्ध अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही हेतु कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होंगे।

13. रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु अर्हता:- मुख्य अर्हताएं इस प्रकार हैं -

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था का पैन (PAN) एवं टैन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर होना चाहिए।

 / 5 //

- iii. विगत 03 वर्षों का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रु. 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) एवं आई.टी. आर. प्रस्तुत करना होगा।
- iv. सुरक्षा निधि के रूप में पांच लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न होना चाहिए। आवेदक संस्था का चयन नहीं होने पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. वापसी योग्य होगा। चयनित/अनुबंधित संस्था को अनुबंध अनुसार कुल भुगतान योग्य राशि का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर एफ.डी.आर. वापसी योग्य होगा।
- v. इसके अतिरिक्त अर्हता का विवरण उस वर्ष प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में उल्लेखित किया जाएगा। जिसका निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा किया जाएगा।

14. राशि का भुगतान:- चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को अनुबंधित राशि का भुगतान किश्तों में किया जायेगा, जिसका निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन रायपुर द्वारा किया जायेगा। कोचिंग संस्था को किश्त अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान किये जाने की स्थिति में आधिक्य की राशि कोचिंग संस्था से वसूलनीय होगी।

15. रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:- कंडिका 13 में उल्लेखित अर्हता में उपयुक्त पाए जाने पर तकनीकी निविदा खोली जाएगी। प्रक्रिया का उल्लेख उस वर्ष हेतु प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा।

16. रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का चयन तथा मूल्यांकन :-


संबंधित वर्ष में प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत उल्लेखित आवेदक कोचिंग संस्थाओं की अर्हता का परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली सकेगी। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं चयन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा :-

- | | | |
|------|--|--------------|
| i. | आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, | - अध्यक्ष |
| ii. | वित्त नियंत्रक/संयुक्त, संचालक (वित्त) | - सदस्य |
| iii. | संचालक/प्रतिनिधि, एस.सी.ई.आर.टी. | - सदस्य |
| iv. | योजना प्रभारी अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| v. | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर | - सदस्य |
| vi. | प्रशासकीय अधिकारी प्रयास बालक/कन्या, आवासीय विद्यालय, रायपुर | - सदस्य |

17. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

- बी.एड सहित एम.ए./एम.एस.सी., बी.टेक./बी.ई./एम.बी.बी.एस. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षक रखे जायेंगे।
- संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षक/फैकल्टी के पास में कम से कम 3 वर्ष का कोचिंग अनुभव होना चाहिए।
- प्रयास विद्यालय हेतु नियोजित शिक्षक प्रयास विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं करेगा।
- प्रयास विद्यालय में शिक्षकों को आयुक्त/संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुमति से ही बदला जा सकेगा।
- चयनित शिक्षकों द्वारा प्रभावी/गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर आयुक्त/कलेक्टर के निर्देश पर योग्य शिक्षक की पूर्ति 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में रुचि की अभिव्यक्ति की शर्तों के अनुसार राशि कटौती की जा सकेगी।
- समस्त आवश्यक शैक्षणिक सामग्री अनुबंध अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

// 6 //



7. अनुबंध होने के पश्चात प्रशासकीय अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन प्रारंभ करना होगा।
8. प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रत्येक माह मासिक, त्रैमासिक एवं छमाही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषयों हेतु विषय विशेषज्ञ रखना होगा।
10. विषय विशेषज्ञ हेतु प्रयास संस्था के आसपास रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।
11. शाला अवधि पश्चात रेमेडियल क्लासेस हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से प्रयास संस्था में उपस्थित रहेंगे।
12. प्रवेशित अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व विकास एवं इंग्लिश स्पीकिंग हेतु भी प्रशिक्षण देना होगा।
13. प्रतियोगी परीक्षाओं (NTSE, JEE main/advance, AIIMS, NEET, CA/CS & CLAT) इत्यादि का फार्म भरवाना, काउंसलिंग कराना तथा विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग प्रदान करना। यह कोचिंग संस्था एवं विद्यालय में कार्यरत विभागीय अमले का संयुक्त दायित्व होगा।
14. विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्थान का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय में निरीक्षण पंजी रखना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षण/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
15. संस्था को एक करियर काउंसलर/मनोवैज्ञानिक रखना होगा।
16. ऑनलाईन साफ्टवेयर पर कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति अपलोड करना होगा।
रूचि की अभिव्यक्ति में नियुक्त शिक्षक की न्यूनतम योग्यता/अर्हता के संबंध में निविदा में उल्लेख अनुसार उपरोक्त बिन्दु यथावत् रहेंगे। उस वर्ष हेतु प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति में इस संबंध में अन्य बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकेगा।

18. प्रशासकीय अधिकारी के दायित्व :-

- (i) प्रशासकीय अधिकारी विद्यालय के प्रमुख होंगे तथा विद्यालय पर समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी का होगा।
- (ii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय के गतिविधियों का सफलता पूर्वक संचालन एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।
- (iii) विद्यालय के क्रियाकलापों के लिए वरिष्ठ कार्यालयों एवं अन्य विभागों से सहयोग लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
- (iv) प्रशासकीय अधिकारी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त फैंकल्टी पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। इस हेतु बायोमैट्रिक अटेंडेंस से मॉनिटरिंग किया जायेगा।
- (v) प्रशासकीय अधिकारी, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित कोचिंग संस्थान से कार्य करवायेंगे।
- (vi) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समय-समय पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित कर व्याख्यान करायेंगे।
- (vii) मेस का सुव्यवस्थित संचालन करायेंगे एवं उसका हिसाब रखेंगे तथा प्रतिमाह भोजन व्यय का हिसाब रखेंगे तथा प्रति विद्यार्थी डाइट चार्ज निकालेंगे।
- (viii) प्रतिमाह मदवार व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।

//7//

- (ix) विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (x) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों के तटस्थ मूल्यांकन का भी प्रबंध करेंगे, जिससे विद्यार्थी एवं कोचिंग संस्था की कोचिंग की दक्षता का मूल्यांकन हो। यह वर्ष में दो बार अपनी सुविधानुसार आयोजित करेंगे। इसकी प्रगति से विभाग को अवगत कराना होगा।
- (xi) समय-समय पर विभाग के हित में सौपे गए दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
- (xii) अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य आवंटन करेंगे एवं उन पर नियंत्रण रखेंगे।

19. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के दायित्व :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालय का समय-समय पर पर्यवेक्षण करेंगे तथा माह में न्यूनतम दो बार निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही बाधा समस्या का निराकरण करेंगे।
- (iii) प्रशासकीय अधिकारी के सीमा से बाहर अन्य कार्यों के लिए बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन देंगे।

20. प्रयास विद्यालय हेतु जिला स्तरीय संचालन/क्रियान्वयन समिति:-

जिला स्तर पर संचालन समिति (समस्त प्रयास विद्यालय हेतु):- जिला स्तर पर संचालन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- (1) जिला कलेक्टर - अध्यक्ष
- (2) जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य
- (4) महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी - सदस्य
- (5) जिला खाद्य अधिकारी - सदस्य
- (6) सहायक आयुक्त, आ.जा.क. - सदस्य सचिव
- (7) प्रशासकीय अधिकारी - सदस्य

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाएगी। इसमें समस्त प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, समस्त जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।


21. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :- इसका गठन निम्नानुसार होगा :-

- (1) भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. - अध्यक्ष
- (2) आयुक्त/संचालक, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. - सदस्य
- (3) संचालक, लोक शिक्षण - सदस्य
- (4) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. - सदस्य
- (5) योजना प्रभारी अधिकारी - सदस्य सचिव
- (6) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/नोडल अधिकारी - सदस्य
- (7) प्रशासकीय अधिकारी - सदस्य

समिति योजना का संपूर्ण मूल्यांकन कर योजना में सुधार एवं इसे बेहतर बनाने हेतु निर्देश दे सकेगी।

22. वित्त पोषण एवं बजट :-

- (अ) योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री वल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 7437 द्वारा किया जाएगा।
- (ब) योजना अंतर्गत चयनित/अनुबंधित संस्था को प्रति विद्यार्थी के मान से 9वीं एवं 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। शिक्षण शुल्क का भुगतान 04 वर्षों में (अनुबंध अवधि के अंतर्गत) विभिन्न किश्तों में किया जाएगा।
23. संस्था से संबंधित कोई भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) का निर्णय अन्तिम होगा।
24. निरसन - नवीन नियम 2020 लागू होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित नियम अधिक्रमित माने जायेंगे।


(आर.ए. निर्मलकर)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.